भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2012

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी

†2012. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 70 वर्ष से अधिक आयु के राज्य-वार कुल कितने लाभार्थी पीएमजेएवाई कार्यक्रम के लिए पात्र हैं;
(ख) 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए कुल कितनी अतिरिक्त प्रीमियम राशि की गणना की गई है;
(ग) क्या राज्य की रूग्णता और जनसांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए यह प्रीमियम अलग-अलग है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्यों हेतु अपेक्षित अतिरिक्त संसाधनों के वित्तीय आकलन का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार केन्द्रीय/राज्य हिस्सेदारी का अनुपात क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी परिवारों की अनुमानित संख्या 4.5 करोड़ है, जो आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 6 करोड़ व्यक्तियों के अनुरूप है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों (70 वर्ष और उससे अधिक आयु) की अनुमानित संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है ।

(ख) से (घ): उक्त योजना पर 3,437 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान है, जिसमें से 2,165 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से का व्यय है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान व्यय होने की संभावना है।

वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार अनुपात में साझा किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र की हिस्सेदारी और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है। पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात जम्मू और कश्मीर,

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए, केंद्र की हिस्सेदारी और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रीमियम का केंद्रीय अंशदान 100% है, जबकि विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह अनुपात 60:40 है।

जिन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना को बीमा मोड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, वहां प्रीमियम का केंद्रीय हिस्सा ऐसे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में बाजार निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जाता है। जिन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना को ट्रस्ट/सोसायटी मोड में क्रियान्वित किया जाता है, वहां निधियों का केंद्रीय हिस्सा वास्तविक व्यय के आधार पर प्रदान किया जाता है। दोनों मामलों में, यह समय -समय पर सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम दर के अध्यधीन है।

केंद्र सरकार की अनुदान सहायता का हिस्सा एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थी परिवारों (जिसमें मौजूदा एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थी परिवार + 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के नए परिवार शामिल हैं) के उपचार की वास्तविक लागत या भारत सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा राशि, जो भी कम हो, के लिए उपरोक्त साझाकरण पैटर्न पर आधारित है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा तय प्रीमियम सीमा 1052 रुपये है । जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, नए लाभार्थी परिवारों को जोड़ा जाएगा, निधियों के केंद्रीय हिस्से की राशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नवीनतम मौजूदा लाभार्थी परिवार आधार और उपयोग डेटा के अनुसार जारी की जाएगी, जो ऊपर बताई गई अधिकतम सीमा राशि के अध्यधीन होगी।

अनुलग्नक

<u>योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों (70 वर्ष और उससे अधिक आयु) की अनुमानित संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की अनुमानित संख्या**	
	परिवार	**व्यक्ति**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9,984	13,329
आंध्र प्रदेश	19,43,486	25,94,554
अरुणाचल प्रदेश	26,281	35,085
असम	9,04,507	12,07,517
बिहार	29,53,168	39,42,479
चंडीगढ़	28,790	38,434
छत्तीसगढ़	8,22,062	10,97,453
दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव	9,784	13,062
गोवा	69,458	92,727
गुजरात	21,37,596	28,53,690
हरियाणा	9,56,300	12,76,661
हिमाचल प्रदेश	3,54,275	4,72,957
जम्मू और कश्मीर	4,37,276	5,83,763
झारखंड	8,64,437	11,54,024
कर्नाटक	25,02,165	33,40,390
केरल	20,10,672	26,84,247
लद्दाख	10,861	14,500
लक्षद्वीप	2,063	2,754
मध्य प्रदेश	260,1,742	34,73,325
महाराष्ट्र	49,64,017	66,26,963

मणिपुर	92,210	1,23,101
मेघालय	59,327	79,201
मिजोरम	31,664	42,272
नागालैंड	47,493	63,403
पुदुचेरी	55,032	73,468
पंजाब	13,01,116	17,36,990
राजस्थान	23,55,898	31,45,124
सिक्किम	18,922	25,261
तमिलनाडु	32,35,454	43,19,331
तेलंगाना	13,50,558	18,02,995
त्रिपुरा	1,38,001	1,84,232
उत्तरप्रदेश	66,71,437	89,06,369
उत्तराखंड	3,99,505	5,33,339

*****